न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1727 / 2022

(CNR UPKR01004139-2022)

JO Code No-UP6124

रिंकू पुत्र मुन्नालाल निवासी वीरपुर थाना अमॉपुर जनपद कासगंज।

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–12 / 2022
धारा–380, 411 भारतीय दंण्ड संहिता
थाना–जी.आर.पी.कासगंज, जिला कासगंज।

आदेश

19–10–2022

आवेदक / अभियुक्त रिंकू की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या–12 / 2022 धारा–380, 411 भारतीय दंण्ड संहिता थाना–जी.आर.पी. कासगंज, जिला कासगंज के उपरोक्त प्रकरण में जेल में निरूद्व होने पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा बृजकिशोर द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह दिनाक 02 08.2022 को मथुरा ज0 से कासगंज ज0 ट्रेन न0 05346 से आ रहा था। उसने अपना मोबाइल ट्रेन मे ही चार्ज पर लगा दिया था । समय करीब 11.00 PM पर रेलवे स्टेशन मारहरा के पास मोबाइल चैक किया ,जो किसी ने चोरी कर लिया मो0 का IMI न0 356481112158235 व 356481112158243 जिसमे सिम न 7597259194 पडी है।

वादी मुकदमा की उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि वह निर्दोष है उसे उपरोक्त मुकदमे में झूॅठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में तथा विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वास्तविकता यह है कि उसने कोई मोबाइल चोरी नहीं किया और ना ही उससे बरामद हुआ है। आवेदक / अभियुक्त की घटना के अगले दिन रेलेवे स्टेशन से गिरफ्तारी दर्शायी गयी है जो अत्यन्त व्यस्त स्थान है किन्तु जनता का कोई गवाह नहीं है। आवेदक / अभियुक्त दिनांक 03.08.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है तथा वह किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं है। अतः आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है कि अभयुक्त ने वादी का मोबाइल जो कि ट्रेन में चार्जिंग पर लगा था को चोरी कर लिया जो उसके कब्जे से बरामद हुआ है। अतः अभियुक्त जमानत पाने योग्य नही है।

उभय पक्षों की ओर से किये गये तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि आवेदक / अभियुक्त पर वादी का मोबाइल चोरी करने व दौरान विवेचना बरामद होने के अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। बरामदगी का जनता का कोई साक्षी नही है। मामला अवर न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक / अभियुक्त दिनॉक 03.08.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है ।

आवेदक / अभियुक्त पर लगाये गये अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, न्यायालय की राय में अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त द्वारा मुव0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत

बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय के समाधान के अनुरूप निम्न शर्तो पर निष्पादित किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये–

1– दौरान विचारण अपवादित परिस्थितियों को छोड़ कर वह अनावश्वयक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(अनिल कुमार IV)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
कासगंज
19.10.2022

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2022.10.19 18:46:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court